

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2012

मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदान स्थल पर निम्नलिखित में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- परिवार के मुखिया का फोटोयुक्त राशन कार्ड
- आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
- शर्ट लाइसेन्स या किसान बही
- विकलांग प्रमाण –पत्र
- मनस्त्रोग्गी जाँच कार्ड
- स्वारथ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेन्स
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों / पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक
- सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा पट्टाभिलेख, रजिस्ट्री डीड आदि
- पेशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेशन बुक, पेशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेशन आदि
- राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पद्धिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले पहचान पत्र
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड

 उपर्युक्त में से जो दस्तावेज़ परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए भी मान्य होंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान करने आये तथा उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाये।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश